(3)

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
02-07-2016 02/09/2016	**न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।** आर0ई0वाद संख्या–16 / 2014–15 **आवेदक** दुर्गा तुरी,पिता–मुन्शी तुरी, मौजा–तेलो,थाना–बोरियो,जिला–साहेबगंज **विपक्षी** कृष्णा पंडित,पिता–स्व0 सदानन्द पंडित, मौजा–तेलो,थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज। **आदेश** प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक पिता–मुन्शी,मौजा–तेलो,थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में दिनांक–21.08.2014 को प्रारंभ की गयी। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–तेलो जमाबंदी नंबर–45, दाग नंबर–499 कुल रकवा–01–04–04 जमीन से विपक्षी कृष्णा पंडित,पिता–स्व0 सदानन्द पंडित, मौजा–तेलो, थाना–बोंरियो, जिला–साहेबगंज के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। जिसके लिए उनके द्वारा विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया है। इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु आवेदक के आवेदन की प्रति इस न्यायालय के ज्ञापांक–117 / डी0बी0,दिनांक–21.08.2014 को भेजी गयी। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक बोरियो के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तेलो जाकर संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जाँच किया गया एवं राजस्व अभिलेख से मिलान किया गया, पाया कि मौजा–तेलो का थाना नंबर–48 जमाबंदी नंबर–499 रकवा–01–04–04 धूर जमीन खतियान में फौदा तुरी बल्द मानिक तुरी वो कार्तिक तुरी वल्द धनी तुरी के नाम से खतियान में दर्ज है। जमीन का ब्यौरा निम्न प्रकार है जमाबंदी नंबर–45 दाग नंबर–499 के अधिकांश भाग पर मकान बना हुआ है। पर दाग नंबर–499 का कुछ अंश खाली पड़ा हुआ है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है। उत्तर–कृष्णा पंडित का मकान,दक्षिण–पी0सी0सड़क।पूरब–भूखल पंडित, पश्चिम–चुना हेम्ब्रम। प्रथम पक्ष दुर्गा तुरी का कहना है कि मेरे पूर्वजों द्वारा ही जमीन पर कृष्णा पंडित अपना मकान बना कर रह रहे हैं। आवेदक का कहना है कि मेरा कोई आपत्ति नहीं है। जो खाली जमीन शेष है, यह हमलोगों का जमीन है। द्वितीय पक्ष कृष्णा पंडित,पिता–स्व0 सदानन्द पंडित के द्वारा दिखाया गया है। दान पत्र पेपर वर्ष–1936 का दिया गया है। जिसका जमाबंदी नंबर–45 दाग नंबर–499,रकवा–01–04–04 धूर जमीन भूखल पंडित को बसोवास के लिए दिया गया है। अतः अंचल अधिकारी, बोरियो के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं उनसे	ज्ञा0 218/डी0बी0 30.10.16

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्राप्त अनुशंसा तथा आवेदक के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन किया तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् प्रतीत होता है कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। उक्त प्रश्नांकित भूमि दामिन–ई–कोह क्षेत्र की अहस्तांतरणीय भूमि है जिसका किसी भी प्रकार का हस्तांतरण अवैध है। प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि आवेदक के प्रश्नांकित भूमि पर विपक्षी का अवैध कब्जा है। तदोपरांत उक्त आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 42 के तहत प्रस्तावित भूमि मौजा तेलो,जमाबंदी नंबर–45 दाग नंबर–499 रकवा–01–04–04 धूर जमीन से विपक्षी कृष्णा पंडित,पिता–स्व0सदानंद पंडित मौजा–तेलो,थाना–बोरियो, जिला–साहेबगंज को उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी,बोरियो के आदेश की प्रति भेजते हुए उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना प्रभारी, से सहयोग प्राप्त कर आवेदक की हड़पी गयी प्रस्तावित भूमि से विपक्षी को उच्छेद कर आवेदक को दखल दिलाते हुए दखल दिहानी से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करें। पारित आदेश से पक्षकारों को अवगत करायें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज। (हस्ताक्षर) 07/04/25 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।	

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.04.09 16:02:32 +05:30
Location: 192.168.0.155